



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/104/7/2024

दिनांक: 18 जुलाई, 2024

Ref No: IRDAI/INT/CIR/MISC/104/7/2024

Date: 18th July, 2024

प्रति / To,

सभी बीमाकर्ता, बीमा मध्यवर्ती, बीमा एजेंट

All Insurers, Insurance Intermediaries, Insurance Agents

विषय: परिपत्र आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/सीओएमएम/139/08/2018 दिनांकित
29/08/2018 का निरसन।

Re: Repealing of Circular IRDA/INT/CIR/Comm/139/08/2018 dated 29/08/2018

1. आईआरडीएआई (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2024 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, दीर्घविधि मोटर बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कमीशन, पारिश्रमिक, प्रतिफल और वितरण शुल्क के भुगतान संबंधी परिपत्र सं. आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ सीओएमएम /139/08/2018 दिनांक 29 अगस्त, 2018 निरर्थक हो गया है। अतः, उल्लिखित परिपत्र को निरस्त किया जाता है।

Consequent to the notification of IRDAI (Expenses of Management, including commission, of insurers) Regulations, 2024, the circular on 'Payment of Commission, remuneration, rewards and distribution fees under Long Term Motor Insurance Policies' Circular No. IRDA/INT/CIR/Comm/139/08/2018 dated 29th August, 2018 has become redundant. Hence, the mentioned circular stands repealed.

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has approval of the competent authority.

(जे अनीता / J. ANITA)

मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती) / CGM (INTERMEDIARIES)